न्यायालय अति० जिला कलेक्टर बारां (राज०)

पंजीकरण क्रमांक 2024/12 प्रकरण संख्या 2/2024 (धारा 26) FSS Act
सरकार बनाम दिनेश कुमार राठौर

09.02.2026 पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां अनुपस्थित है। प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे पाया गया कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां द्वारा सेम्पल नं. एएच– 1659 का प्रकरण अप्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 01.01.2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किए जाने पर उक्त सम्मन इस रिपोर्ट के साथ वापिस प्राप्त हुआ कि इस नाम की फर्म नहीं है। अप्रार्थी के निवास स्थान पर पुनः जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किए जाने पर उक्त सम्मन इस रिपोर्ट के साथ वापिस प्राप्त हुआ कि अप्रार्थी नहीं मिला। इसके पश्चात् प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां से 15 बार अप्रार्थी का वर्तमान निवास स्थान का पता तलब किए जाने उपरांत भी उनके द्वारा इस न्यायालय को नहीं भिजवाया गया। उक्त मूल प्रकरण खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं अधिकारी, बारां को अप्रार्थी के वर्तमान पते के अभाव में इस आदेश की सत्य प्रतिलिपि के साथ जरिये पत्र वापिस भिजवाया जावें। पत्रावली अभिलेखभंडार में प्रविष्ठ हो।

आदेश आज दिनांक 09.02.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारां